चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी एक मौका चूक गई। ग्रीन को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।- आर अश्विन

पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कैमरन ग्रीन को लेकर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी — लियोनेल मेस्सी

अर्जेंटीना- के फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने अपने इंडिया टूर के समापन के बाद भारत के प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। इस टूर में खूब मस्ती हुई और कुछ यादगार क्रॉसओवर पूरे देश में ट्रेंड कर रहे थे। अपने इंस्टाठाम पर मेस्सी ने लिखा, ''नमस्ते भारत! दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्राएं अविश्वसनीय रहीं। गर्मजोशी से स्वागत, शानदार आतिथ्य और पूरे दौरे के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है!''

क्या आप जानते हैं ?... विराट कोहली की 2025 में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने 651 रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

राजस्थान ने नागर हवली दमन दयू को 6-0 से हराया

जयपुर, 17 दिसम्बर। राजस्थान ने 6-0 से की विजय शुरुआत करते हुए विद्याधर नगर स्टेडियम मे प्रारम्भ हुई सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आगाज किया। पहले दिन 2 मैच खेले गए प्रथम मैच गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया जिसमे गुजरात ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुऐ 3-0 से मैच जीता! मैच के 8वे एवं 78 वे मिनट मे गुजरात के मोईनुद्दीन ने गोल किया इसके बाद मैच के 89 वे मिनट मे धर्मेश से गोल करे के टीम को 3-0 से विजय बनाया। दूसरा एवं उद्घाटन मैच राजस्थान और दादर और नागर हवली दमन दयू के मध्य खेला गया। मैच के दुसरे मिनट मे ही दादर नागर की टीम से आत्मघाती गोल कर राजस्थान टीम को 1-0 की बढ़ात दे दी। इसके बाद राजस्थान ने विरोधी टीम के गोल पर भरसक प्रयास किया जिसकी बदौलत मैच के 44 वे मिनट मे राजस्थान के अमित ने दमन के रक्षापक्ति को छकाते हुए शानदार गोल कर के बढ़ते को 2-0 से कर दी। मध्यन्तर तक राजस्थान ने यह बढ़त बरकरार रखी और मध्यन्तर के बाद राजस्थान ने अपना पारम्परिक अंदाज मे खेल का परिचय देते हुऐ मैच के 62 वे मिनट राजस्थान के मुकेश से शानदार बाइसाइकिल किक से गोल करे के बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद 72 वे मिनट मे नीरज ने और 81 वे मिनट मे मिलन और 82 वे मिनट मे मुकेश से गोलकर मैच को 6-0 से मैच अपने नाम किया। राजस्थान के मुकेश को प्लेयर ऑफ ऑफ दा मैच चुना गया।

एमसीजी और संस्कार क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन-1 में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.2 ओवर में 240 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं! राज ने 46 और राकेश जांगिड़ ने 39 रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने 3 , मितेश जांगिड़ और नयन माली ने दो-दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने 27.3 ओवर में 243 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली! पुखराज कुमार ने 104 और पंकज जांगिड़ ने 61 रनों का योगदान दिया! केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेंद्र यादव और राहुल सैनी ने दो-दो विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच पुखराज कुमार को चुना गया।

दूसरे मैच में संस्कार क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.5 ओवर में 300 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं। आदित्य झाला ने 65, हार्दिक ने 64 और अभिषेक यादव ने 55 रनों का योगदान दिया। कैंडलविक क्रिकेट अकादमी की ओर से मानव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी कैंडलविक क्रिकेट अकादमी 32 ओवर में 181 रन पर ऑल आउट हो गई! मेहुल सिंह ने सर्वाधिक 59 रनों का योगदान दिया। संस्कार क्रिकेट अकादमी की ओर से अभयराज ने तीन विकेट लिए। मैच का मैन ऑफ द मैच आदित्य झाला को चुना गया।

जयपुर ने बेदला को हराया, लांस वाटसन ने डबल हैट्रिक के साथ 8 गोल किये

जयपुर, 17 दिसम्बर। पीपीसी पोलो ठाउंड पर जयपुर पोलो टीम और बेदलाके बीच मैच खेला गया जिसमें जयपुर ने बेदला को 4.5 के मुकाबले 9 गोल से हराया। आधे गोल का एडवांटेज लेकर खेल रही बेदला पोलो टीम की ओर से सिद्धांत शर्मा ओर फ्रेडरिक ने 2-2 गोल किए। जयपुर पोलो टीम की ओर से हुर्रे अली ने 1 गोल ओर लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए 8 गोल कर टीम को जीत दिलाई।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नया पावर हाउस, बसनी, जोधपुर, वेबसाइट:www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 (2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), जोधपुर (जिसे डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है) ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 64 के तहत, आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2019 (समय-समय पर संशोधित), आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2025 और आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के समायोजन, एआरआर और टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की है।

याचिका की प्रतियां आयोग के कार्यालय में और निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण/पठन के लिए उपलब्ध हैं और 200 रुपये के भुगतान पर खरीदी जा सकती हैं:

1. लाइसेंसधारी का मुख्यालय – न्यू पावर हाउस, बसनी, जोधपुर।
2. ओ एंड एम के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, जोधपुर सिटी सर्कल, जोधपुर जिला। सर्किल, जोधपुर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बाड़मेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/बीकानेर/चूरू/जालौर/बालोतरा/फलोदी।

यह याचिका निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। **www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/** और आरईसी की वेबसाइट पर भी। **www.rerc.rajasthan.gov.in**

जेडीवीवीएनएल द्वारा दिनांक 24.12.2025 को सुबह 11:00 बजे जोधपुर स्थित न्यू पावर हाउस के सम्मेलन कक्ष में याचिका की ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिन प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं।

टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति सहायक विवरणों और आरईआरसी (व्यावसायिक लेनदेन) विनियम 2021 के प्रपत्र-3 में एक शपथ-पत्र के साथ छह प्रतियों में प्राप्तकर्ता अधिकारी, आरईआरसी, विनियमक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के पास जमा कर सकते हैं, ताकि यह 06.01.2026 तक प्राप्तकर्ता अधिकारी तक पहुंच जाए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एआरआर, टैरिफ और निवेश योजना के समायोजन हेतु दायर याचिका के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है (याचिका संख्या 2380/25):

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के समायोजन का सारांश (रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	जेडीवीवीएनएल	
		अनुमत	ट्रू अप के लिए दावा किया गया
1	आय		
2	बिजली की बिक्री	20662	20768
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए एफएसए की वसूली	1437	
4	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	0	160
5	गैर-टैरिफ आय/अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के ट्रू-अप क्रेडिट सहित)	406	1188
6	व्हीलिंग शुल्क, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त आय	1	2
7	कुल राजस्व (ए)	22506	22118
8	व्यय		
9	प्रसारण शुल्क सहित बिजली खरीद लागत	16974	19995
10	संचालन एवं रखरखाव व्यय	1636	1361
11	टर्मिनल लाभ	370	1250
12	मूल्यह्रास	706	1091
13	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज सहित)	666	1435
14	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	249	2584
15	विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज	1981	
16	यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो	0	34
17	बीमा व्यय	26	0.50
18	अन्य डेबिट (पिछली अवधि की मदों सहित)	0	(351)
19	कुल व्यय (ARR) (B)	22609	27399
20	अधिशेष /(अंतर) (C=A-B)	(103)	(5281)
21	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान		
22	धारा 65 (डी) के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा उपयुक्त सरकार से प्राप्त राजस्व सब्सिडी	26	55
23	एफआरबीएम योजना (ई) के तहत हानि अनुदान	77	2485
24	अनुदान के बाद राजस्व अधिशेष/(अंतर) (F=C+D+E)	0	(2741)
25	विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)	0	237
26	असाधारण आय/(व्यय) (एच)	0	2789
27	शुद्ध राजस्व अधिशेष / (अंतर) (F-G+H)	0	(188)

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
1	बिजली खरीद व्यय	18123
2	संचालन एवं रखरखाव व्यय	
2.1	कर्मचारी व्यय	1373
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय	169
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	549
2.4	टर्मिनल लाभ	1326
3	मूल्यह्रास	1796
4	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (सुरक्षा जमा पर ब्याज सहित)	1664
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	264
6	विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज	1565
7	प्रसारण शुल्क	2293
8	एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी शुल्क	12
9	यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो	-
10	कुल राजस्व व्यय	29133
11	लाभांश	-
12	आरओई पर कर	-
13	कुल राजस्व आवश्यकता	29133
14	घटाएं: गैर-टैरिफ आय	302
15	घटाएं: व्हीलिंग शुल्क से प्राप्त आय	3
16	घटाएं: क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के मद में प्राप्त राशि	0
17	घटाएँ:व्हीलिंग के शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्त रसीद	0
18	खुदरा शुल्क से कुल शुद्ध राजस्व की आवश्यकता (13-14-15-16-17)	28828
19	मौजूदा टैरिफ पर बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व	23856
20	व्यापार से प्राप्त राजस्व	790
21	विनियामक अधिभार से राजस्व	2837
22	एफपीपीएएस से राजस्व	474
23	पीओसी से प्राप्त राजस्व	20
24	उपयुक्त सरकार से प्राप्त सब्सिडी (हानि सब्सिडी सहित)	2259
25	मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष/(अंतर) (19+20+21+22+23+24-18)	1407
26	टैरिफ युक्तिकरण के बाद बिजली की बिक्री से राजस्व	23854
28	शुल्क युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी)	(2)
29	टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष (25+28) के लिए अधिशेष/(अंतर)	1405

तालिका 3: राज्य सीमा अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
राज्य सीमा के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)	40,532

तालिका 4 वितरण हानियाँ

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
वितरण हानि (%)	13.00%

डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित निवेश योजना प्रस्तावित की है:

तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना और वित्तपोषण के स्रोत (रुपये करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम	मात्रा
1	प्रसारण एवं वितरण कार्यक्रम	1045
2	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	2044
3	आरडीएसएस (बुनियादी ढांचा)	807
4	आरडीएस (आरएमएस और आईटी/ओटी)	61
5	आरडीएसएस (छूटे हुए आरएचएच का विद्युतीकरण)	142
6	आरडीएसएस (फीडर पृथक्करण)	775
7	कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए दो ब्लॉक आपूर्ति (आरडीएसएस)	290
8	आरडीएसएस (डीए-JUGA और छुटे हुए घरेलु कनेक्शन)	250
	कुल	5414
क्रमांक	**वित्तपोषण का स्रोत**	
1	ऋण	2588
2	अनुदान	1395
3	हिस्सेदारी	1113
4	उपभोक्ता योगदान	318
	कुल	5414

टिप्पणी:- डिस्कॉम ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग घटक के अंतर्गत व्यय 272 करोड़ रुपये है। हालांकि, पूंजी निवेश के उद्देश्य से, स्मार्ट मीटरिंग घटक के लिए आवंटित व्यय को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे कुल व्यय (टोटेक्स) मोड पर लागू किया जाना है।

डिस्कॉम ने क्रॉस सब्सिडी शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन टैरिफ में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भी दिए हैं:

तालिका 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार

वर्ग	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (रु./किलोवाट घंटा)
व्हद औधोयोगिक	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
मिश्रित भार- एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
अघरेलू-एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75

तालिका 7: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
132 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.01
33 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.11
11 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.63
कम वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	2.49

तालिका 8: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	0.00*

तालिका 9: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित हरित ऊर्जा शुल्क

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	0.00*

*** टिप्पणी:-** डिस्कॉम द्वारा ग्रीन पावर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम शुल्क न लेने का प्रस्ताव है। ग्रीन पावर उसी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी विशेष श्रेणी के लिए लागू होती है।

डिस्कॉम ने याचिका में किसी भी प्रकार के शुल्क संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित शुल्क युक्तिकरण उपायों की मांग की है:

1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एचटी-3) के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी:-मध्यम औद्योगिक सेवा के अंतर्गत ऊर्जा शुल्क वर्तमान में 650 पैसे (6.50 रुपये) प्रति यूनिट निर्धारित है। सभी लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए, एचटी-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क 6.30 रुपये प्रति किलोवाट घंटा बनता है। डिस्कॉम ने एचटी-3 उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को सभी छूटों के बाद 6.00 रुपये प्रति किलोवाट घंटा करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर 650 पैसे प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रहेगी। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करना और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराना है। इस संशोधन का उद्देश्य सामर्थ्य को बढ़ाना, राजस्थान में औद्योगिक विकास को समर्थन देना और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखते हुए बाजार की स्थितियों और आपूर्ति लागत के रुझानों के अनुरूप होना है।
2. सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था (पीएसएल) श्रेणी के लिए समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क (टीओडी) को हटाना:डिस्कॉम ने सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग (पीएसएल) उपभोक्ताओं के लिए टाइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटें मुख्य रूप से शाम और रात के शुरुआती घंटों में, आमतौर पर सूर्यास्त से लेकर आधी रात या सुबह तक चलती हैं और ऑफ-पीक समय में लोड को स्थानांतरित नहीं कर सकतीं, जो कि टीओडी टैरिफ का मूल उद्देश्य है। इसलिए, ये उपभोक्ता न तो सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का लाभ उठा सकते हैं और न ही पीक-घंटे के सरचार्ज से बच सकते हैं, जिससे टीओडी का अनुप्रयोग अनुचित हो जाता है।
3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ की शुरुआतविद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 9 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ अनिवार्य किया गया है, जो 31.03.2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) पर सीमित है, जिसमें सौर ऊर्जा के घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 0.7 गुना ACoS और गैर-सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान 1.3 गुना ACoS शुल्क लागू होगा। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप और राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, वितरण कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए मौजूदा निश्चित शुल्कों को हटाकर एकल-भाग टैरिफ पर स्थानांतरित होने का प्रस्ताव करती हैं।
4. बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव:-डिस्कॉम्स ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में वर्तमान में कहा गया है कि जैसा कि नीचे दिया गया है:

   "यदि एमडीआई द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक 50 केवीए से अधिक हो जाती है, तो एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में तीसरी बार अधिकतम मांग से अधिक होने पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर 11 केवी पर आपूर्ति लेनी होगी। अनुपालन न करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा।"

   डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें "दो बार से अधिक" वाक्यांश को "तीन बार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। वर्तमान शब्दावली अस्पष्ट है क्योंकि इसमें "दो बार से अधिक" का उल्लेख तो है, लेकिन तीसरी बार ऐसा होने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। TCOS-2021 के खंड 4.8(b) में पहले से ही यह निर्दिष्ट है कि एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार निर्धारित सीमा से 5% से अधिक मांग होने पर टैरिफ में बदलाव लागू होगा। इसलिए डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 को TCOS के अनुरूप करने से स्पष्टता, एकरूपता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं दूर होंगी।
5. 5 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए गैर-घरेलू श्रेणी में स्लैबों का विलय।:याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा गैर-घरेलू (एनडीएस) टैरिफ संरचना जटिल है और इससे परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता बढ़ाने और टैरिफ के आवेदन को सरल बनाने के लिए, डिस्कॉम ने 200 यूनिट तक के गैर-घरेलू खपत स्लैब को एक ही स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, 5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड वाले एनडीएस उपभोक्ताओं के लिए, डिस्कॉम ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई संशोधित एकीकृत टैरिफ संरचना का प्रस्ताव दिया है।

गैर-घरेलू सेवा	मांग/निश्चित शुल्क (रु.)	ऊर्जा शुल्क (रु./यूनिट)
5 किलोवाट तक के एससीएल के लिए एनडीएस		
एनडीएस प्रकार 1		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	350	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
एनडीएस प्रकार 2		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	450	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत		
एनडीएस प्रकार 3		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	700	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत		
प्रति माह 500 यूनिट से अधिक की खपत		

6. सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट श्रेणी के लिए निश्चित शुल्कों पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करना: डिस्कॉम्स ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट (पीएसएल) श्रेणी के लिए मौजूदा निश्चित शुल्क बहुत अधिक हैं। इस स्थिति से पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं के एक सेवा कनेक्शन से कई लैंप पॉइंट जुड़े होते हैं और इन उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क प्रति लैंप पॉइंट के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम्स पीएसएल श्रेणी के लिए प्रति सेवा कनेक्शन निश्चित शुल्क पर एक सीमा फिर से लागू करने का प्रस्ताव करते हैं। इस उपाय का उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे डिस्कॉम की राजस्व आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सार्वजनिक कल्याण उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके। पीएसएल श्रेणी के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट	मांग/निश्चित शुल्क	ऊर्जा शुल्क (रुपये प्रति यूनिट)
जनसंख्या < 1 लाख	प्रति लैंप पॉइंट 150 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 3000 रुपये के अधीन।	7.00
जनसंख्या > 1 लाख	प्रति लैंप पॉइंट 200 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 8000 रुपये के अधीन।	7.50

टिप्पणी:- याचिका में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

अधिशाषी अभियंता (RA&C)
याचिकाकर्ता की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राज.संवाद/सी/25/15997

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर, वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 64(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, अजमेर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62 और 64 सपठित रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्तें) विनियम 2019 समयानुसार संशोधित, रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्तें) विनियम 2025 तथा रा.वि.वि.आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 के अन्तर्गत विव. 2024–25 की समग्र राजस्व आवष्यकता की ट्रूईंग–अप, विव. 2026–27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है।

याचिका की प्रतियां निरीक्षण/अवलोकन के लिए और रू. 200/– के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :–

1. अनुज्ञप्तिधारी का मुख्यालय– विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर।
2. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), अविविनिलि:– ब्लॉक–आई, हाथीभाटा पॉवर हाऊस, अजमेर–305001।
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर/ब्यावर/भीलवाडा/उदयपुर/सलुम्बर/झुंझुनू/नागौर/सीकर/चितौडगढ/बांसवाड़ा/राजसमन्द/डूंगरपुर/प्रतापगढ/डीडवाना–कुचामन स्थित कार्यालय।

याचिका **www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl** (अजमेर डिस्काम की वेबसाइट) और आरईआरसी की वेबसाईट **www.rerc.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस याचिका का एक श्रव्य–दृश्य प्रदर्शन का आयोजन भी दिनांक 26.12.2025 (शुक्रवार) को सभागार, विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर में दोपहर 12 बजे रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति नियत दिनांक व स्थान पर इस प्रदर्शन हेतु उपस्थित हो सकते है।

टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति सहायक प्रपत्रों और राविविआ (कार्य सम्पादन) विनियम 2021 के फार्म सं0 3 में शपथपत्र सहित प्राप्ति अधिकारी, राविविआ, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर – 302001 के पते पर 6 प्रतियों में भेज सकते हैं जिससे कि ये प्राप्ति अधिकारी के पास दिनांक 09.01.2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जायें।

विव. 2024–25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग–अप, विव. 2026–27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है (याचिका संख्या 2379/2025):–

सारिणी 1 : विव. 2024-25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रू अप का सारांश (करोड़ रू.)

क्र. सं.	विवरण	अजमेर डिस्कॉम	
		स्वीकृत	ट्रू अप के लिये किया गया दावा
1.	राजस्व		
2.	ऊर्जा विक्रय	21,496	20,926
3.	वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिये फ्यूल सरचार्ज की वसूली	1370	
4.	ट्रेडिंग द्वारा ऊर्जा विक्रय	0	128
5.	गैर टैरिफ और अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के ट्रू–अप केडिट सहित)	497	843
6.	विद्युत परिवहन, प्रति सहायिकी और अतिरिक्त अधिभार से आय	4	3
7.	कुल राजस्व (अ)	23,367	21,899
8.	व्यय		
9.	ऊर्जा क्रय लागत प्रसारण शुल्क सहित	15,616	15,451
10.	पवस व्यय	1582	1519
11.	सेवान्त लाभ	570	771
12.	ह्रास	701	1119
13.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	798	895
14.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	158	2024
15.	विनियामक संपत्तियों पर ब्याज	1489	
16.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	0	(2)
17.	बीमा व्यय	30	1
18.	अन्य व्यय (उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट सहित)	315	228
19.	**कुल व्यय स.रा.आ. (ब)**	**21259**	**22006**
20.	**अधिशेष /(कमी) (स= अ–ब)**	**2108**	**(107)**
21.	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान		
22.	धारा 65 के तहत सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सहायिकी (द)	18	0